मु .नं. 30/2022

16.07.024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उप.। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हमारे पिता स्व. सवाजी के दादा/परदादा से लेकर आज दिन तक पिढियों से स्वं. सवाजी के वारिशान होने से सरवाना गांव के नव सृजित गांव हरिपुरा नेणों का वास में निवास करते आ रहे है। हमारे पिता स्व. सवाजी का अपनी पुश्तैनी भूमि में कब्जा काश्त था जिस पर सवत् 2009 में प्रथम सेटलमेंट अधिकारियों ने सर्वे किया, सर्वे के मुताबिक खेत पुराना खसरा नम्बर 708 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 706 रकबर 10 बीघा कुल रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा प्रथम सेटलमेंट अधिकारियों ने खतोनी बन्दोबस्त के अनुसार हमारे पिता स्व.सवाजी के नाम से खातेदारी घोषित की थी। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा की गई भूमि पैमाईश के अनुसार प्रथम सेटलमेंट के अधिकारियों द्वारा बनाये गये खसरों का नव सृजन किया गया, जिसमें मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराना खसरा नम्बर 708 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा के नव सृजित खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.07 हैक्टयर खसरा नम्बर 1410 रकबा 1.30 हैक्टयर तथा पुराना खसरा नम्बर 706 रकबा 10 बीघा के नव सृजित खसरा नम्बर 1406 रकबा 0.50 हैक्टयर , खसरा नम्बर 1407 रकबा 1.12 हैक्टयर हमारे पिता स्व. सवाजी के नाम से दर्जसुदा आई हुई है। जो सवाजी को अपने पिता/दादा से अर्जित पैतृक संम्पति है जिस पर स्व. सवाराम का हक एक ट्रस्टी की तरह होता है जो उक्त सम्पति पर अपना अधिकार रखते हुए कमाई कर जीविकोपार्जन कर सकता है। अपने जीवन काल में उक्त सम्पति का उपयोग,उपभोग कर सकता है। लेकिन बैचान करने या खूदबूर्द करने का कतई कोई अधिकार नही है। सवाजी अपनी 50 वर्ष की आयु में दोनों आंखों से अन्धे हो गये थे तथा हम प्रार्थीग्ण स्व.सवाजी के चारों संतान कमाई करने के लिए गुजरात में रहते थे। स्व. सवाजी के अन्धेपन का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 भगाराम व रायचंद पिता गजाराम कौम ब्रह्मण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 के पिता मोहनलाल ने दिनांक 28.08.1997 को हमारे पिता स्व. सवाजी को अन्धेपन की पेंशन बनाने का कह कर सांचौर ले गये, वहां ले जाकर अलग–अलग बैचान दस्तावेज निष्पादित करवा दिये थे। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी में आराजी में से प्रार्थीगण की पैतृक भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त आया हुआ होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों मूल भूत बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त आराजी में आया होने से यदि प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के पुश्तैनी हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी में से फर्जी तरीके से हुए बैचाननामा के आधार पर जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जो रूपयों पेशों में आंकलन नही की जा सकेगी। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी में न तो अप्रार्थीगण स्वंय व न किसी अन्य के द्वारा दखलदांजी करावे। तथा [illegible] रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश फरमवें।

हमनें वकील प्रार्थीगण की [illegible] बहस [illegible] किया व पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का [illegible]न प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की जाती है कि मौजा हरिपुरा नेणो का वास पटवार हल्का सरवाना तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 1406,1407,1409,1410 जुमले रकबा 2.99 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner